भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 245

<u>दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

भारत-अमेरिका व्यापार सबंध

***245. श्री सुधीर गुप्ता:**

श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) द्वारा अमेरिकी बाजारों में भारतीय फलों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है या हटा दिए जाने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस स्वागत योग्य कदम से दोनों देशों के बीच बकाया व्यापार मुद्दों का समाधान होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या यूएसए और भारत की सरकारों ने एक दूसरे के साथ नियमित रूप से वार्ता करने के लिए कोई व्यापार नीति फोरम का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ताजे फलों और सब्जियों के लिए पैकिंग हाउसेज और प्रसंस्करण इकाइयों के पंजीकरण के लिए कदम उठाए गए है;

(ङ) क्या करेले, बैंगन इत्यादि जैसी कुछ सब्जियों पर प्रतिबंध अभी भी जारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन सब्जियों पर से प्रतिबंध को हटाए जाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(च) ऐसे प्रतिबंध को हटाए जाने के बाद निर्यात से राजस्व की कितनी धनराशि अर्जित किए जाने की संभावना हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

"भारत-अमेरिका व्यापारिक संबंधों" के संबंध में 15 दिसंबर को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 245 के भाग (क) से (च) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): अमेरिकी बाजार में भारतीय फलों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत के पास केला, अनार, आम, तरबूज और नारियल सहित फलों की बाजार पहुंच है। तथापि, अनार के दानों के निर्यात को अमेरिका द्वारा 2018 में रोक दिया गया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय आम और अनार के फलों का निर्यात कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2020 से रोक दिया गया था क्योंकि यात्रा प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी निरीक्षकों द्वारा निर्यात पूर्व-निकासी निरीक्षण नहीं किया जा सका।

12वें भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच की 23 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में, अमेरिका ने अनार के दानों के लिए बाजार पहुँच को अंतिम रूप देने के साथ-साथ भारत में आम और अनार के लिए पूर्व-मंजूरी हेतु निगरानी हस्तांतरण पर सहमति व्यक्त की, जो इन वस्तुओं के अमेरिका को निर्यात को सुगम बनाएगा।

(ग): वर्ष 2005 में गठित भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए एक द्विपक्षीय मंच है। इसकी सह-अध्यक्षता भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। 12वें भारत-अमेरिका टीपीएफ की मंत्रिस्तरीय बैठक 23 नवंबर, 2021 को बुलाई गई थी। बैठक के बाद द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक मुद्दों और आगे की राह को कवर करता एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, जो https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2021/11/TPF-Joint-Statement-2021-Nov-23-Final.pdf. पर उपलब्ध है।

(घ): फलों और सब्जियों और अन्य बागवानी उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए , सरकार पैक हाउस की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी निकाय, यथा एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और एनपीपीओ (राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन) स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)/हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स (एचएसीसीपी)/ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम (बीआरसी) के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर पैक हाउसों का पंजीकरण और पहचान करती है।

(ङ) और (च): भारत से अमेरिका में करेले और बैंगन जैसी सब्जियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अमेरिका को 2019-20 में 72.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2020-21 में 101.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की सब्जियों का निर्यात किया।

****

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 2769
वाणिज्य विभाग

दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

ज्वैलरी पार्क

2769. श्री जनार्दन मिश्रः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रत्न और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुम्बई सहित विभिन्न शहरों में ज्वैलरी पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है।

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली जैसे शहरों में ऐसे पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): वर्तमान में, सरकार द्वारा किसी शहर में ज्वैलरी पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2786

दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीईएम पोर्टल पर विक्रेताओं को भुगतान

2786. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री भोला सिंह:

डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) प्लेस पोर्टल पर माल और सामग्री की खरीद के बदले भुगतान में देरी के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन खरीददारों का विभाग-बार ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्तमान में विक्रेताओं का भुगतान रोक दिया है;

(घ) क्या विलंबित भुगतान से बिक्री करने वाली कंपनियों के पूंजी और निधियों के प्रवाह पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार जीईएम पोर्टल पर विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के प्रावधानों की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख): भुगतान में देरी के लिए विभिन्न विक्रेताओं द्वारा उठाए गए प्रसंगों (शिकायतों) की संख्या का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	जीईएम पर किए गए अनुबंधों की कुल संख्या	भुगतान में देरी के प्रसंगों का प्रतिशत
2018	9,43,336	1.61%
2019	19,43,036	1.57%
2020	22,84,489	0.98%
2021*	18,19,708	0.60%

* 08.12.2021 तक के आंकड़े

(ग): खरीदार, जिन्होंने वर्तमान में विक्रेताओं को भुगतान रोक दिया है, में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के कुछ मंत्रालय एवं विभाग तथा अन्य संगठन शामिल हैं।

(घ): ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ड.) और (च): व्यय विभाग के परामर्श से जीईएम विक्रेताओं को जीईएम अनुबंधों के लिए समय पर भुगतान को समर्थ बनाने के लिए अग्रसक्रिय उपाय कर रहा है।

जीईएम ने भुगतान पद्धति के रूप में जीईएम पूल अकाउंट (जीपीए) को समर्थ बनाया है जिसमें खरीदार को बकाया के भुगतान करने में विफल रहने पर देय होने पर भुगतान स्वचालित रूप से विक्रेता के खातों में अंतरित हो जाता है। खरीदारों को उत्तरोत्तर जीपीए भुगतान पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

व्यय विभाग ने 3 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.6/18/2019-पीपीडी द्वारा जीईएम अनुबंधों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को शीघ्र भुगतान से संबंधित अनुदेश भी जारी किए हैं। खरीदारों में समय पर भुगतान के लिए अधिक अनुशासन लाने के लिए कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज लगाने का भी प्रावधान है (https://assets-bg.gem.gov.in/resources/pdf/prompt-payment.pdf)। कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान है कि इस संबंध में एकत्र की गई राशि को जीईएम द्वारा रख-रखाव किए जा रहे खाते में जमा किया जाएगा।

यदि खरीदार समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जीईएम ने अनंतिम रसीद प्रमाणपत्र (पीआरसी) और प्रेषिती रसीद और स्वीकृति प्रमाणपत्र (सीआरएसी) के स्वचालित सृजन का प्रावधान भी शुरू कर दिया है।

उपरोक्त सभी उपायों से खरीदारों में अधिक अनुशासन लाने और विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आशा है।

*****

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 2799
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चावल की मांग

2799. श्री धर्मवीर सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेश में देश से चावल की मांग कम हुई है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और साथ ही मांग में दर्ज की गई कमी का ब्यौरा क्या है; और
(ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश से/द्वारा आयात-निर्यात की जा रही फसलों का मात्रा-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से चावल के निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

मात्रा '000 मीट्रिक टन में; मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

2018-19		**2019-20**		**2020-21**	
मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
11949.29	7712.13	9490.90	6396.59	17719.47	8814.67

जहां वर्ष 2019-20 में निर्यात में गिरावट आई थी, वहीं वर्ष 2020-21 के दौरान पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई थी। इस प्रकार देश से चावल की मांग विदेशों में कम नहीं हुई है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान देश से/द्वारा निर्यात और आयात की गई फसलों का विवरण (मात्रा और मूल्य) अनुबंध-1 में है। फसलों के निर्यात और आयात का देश-वार विवरण अनुबंध-2 में दिया गया है।

भारत का फसलों का निर्यात

मात्रा '000 एमटी में; मूल्य अमरीकी डालर में										
	2016-17		**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**	
उत्पाद का नाम	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
गैर बासमती चावल	6813.40	2553.79	8633.24	3558.11	7534.21	2999.51	5036.19	2024.66	13087.94	4796.02
बासमती चावल	3999.72	3222.35	4051.90	4165.00	4415.09	4712.62	4454.71	4371.93	4631.53	4018.65
मसाले	1007.84	2890.41	1081.34	3104.35	1091.10	3308.27	1192.45	3622.58	1610.02	3984.75
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	1000.02	1627.07	1097.44	1887.44	1143.11	2104.41	658.98	1057.82	1214.20	1897.20
ताजा फल	798.72	741.93	657.18	736.07	736.95	762.55	819.18	763.79	956.96	765.67
चाय	244.46	734.25	272.89	837.32	270.27	830.90	254.77	826.47	212.66	756.16
मूंगफली	725.11	810.95	503.16	524.53	488.23	472.34	664.44	715.81	638.55	727.38
ताज़ी सब्जियां	3631.97	852.22	2296.08	775.50	2915.11	760.11	1927.79	651.57	2326.54	721.80
कॉफ़ी	288.16	843.57	317.83	968.60	282.87	822.34	257.02	738.86	245.21	719.65
अन्य अनाज	738.18	212.06	819.75	247.38	1221.29	338.90	500.84	204.40	3026.74	694.39
गेहूं	262.46	66.32	229.99	66.93	183.16	52.41	217.01	62.01	2086.37	549.18
अनिर्मित तंबाकू	205.10	636.71	185.30	593.85	189.48	570.22	181.80	530.32	178.30	517.48
तिल के बीज	308.75	403.91	336.84	463.90	311.99	539.01	282.21	525.55	273.13	425.60
काजू	92.18	790.62	90.06	922.42	78.17	654.43	84.33	566.79	70.09	420.43
दाल	137.18	191.63	179.11	227.43	285.78	258.46	229.64	210.71	276.86	265.61
पुष्पोत्पादन	22.32	81.26	20.77	78.72	19.68	81.72	16.97	76.52	15.84	77.84
अन्य तिलहन	194.48	126.80	295.13	175.43	213.96	131.65	89.64	61.79	84.69	61.27
नाइजर बीज	14.13	17.53	9.22	10.84	13.37	13.64	13.83	14.91	19.59	21.58
कुल		**16803.38**		**19343.82**		**19413.49**		**17026.49**		**21420.66**

भारत का फसलों का आयात

मात्रा '000 एमटी में; मूल्य अमरीकी डालर में										
	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
उत्पाद का नाम	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजा फल	1040.19	1675.44	994.70	1942.92	1124.18	1987.58	993.73	1993.12	1234.91	2131.21
दाल	6608.95	4244.24	5607.26	2908.26	2527.88	1140.76	2917.06	1440.09	2466.16	1611.72
मसाले	240.39	858.58	220.67	989.50	232.70	1128.84	320.99	1438.83	336.83	1082.50
काजू	774.30	1346.58	654.02	1418.63	839.64	1607.54	941.42	1277.71	834.40	1006.20
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	499.62	946.88	468.79	979.22	298.12	632.98	744.32	1328.41	231.14	385.82
अन्य तिलहन	117.16	58.92	127.35	56.47	220.44	108.58	410.95	213.41	506.88	289.60
तिल के बीज	69.03	65.88	26.27	27.40	87.54	124.23	146.97	204.49	103.24	121.93
कॉफ़ी	78.04	138.20	77.22	154.73	82.77	137.67	88.09	135.77	78.50	121.37
चाय	24.79	50.27	24.74	55.16	21.53	46.33	21.94	58.44	38.59	88.95
अन्य अनाज	311.37	73.30	265.13	67.27	244.32	67.92	673.06	170.54	134.79	44.28
ताज़ी सब्जियां	8.55	1.66	15.66	3.98	13.67	3.28	150.10	83.46	72.90	30.50
पुष्पोत्पादन	5.56	19.96	6.24	21.16	6.38	24.97	7.23	32.53	3.96	21.72
अनिर्मित तंबाकू	1.97	11.47	1.54	10.78	2.60	14.48	4.77	19.38	7.21	17.42
नाइजर बीज	10.47	12.16	5.33	4.49	8.66	5.80	4.70	3.46	5.92	5.47
गैर बासमती चावल	1.14	1.08	2.12	1.89	6.87	4.56	5.64	11.06	4.76	3.33
मूंगफली	0.33	0.21	1.72	2.02	1.09	1.16	1.95	1.62	1.04	1.06
गेहूं	5749.43	1268.64	1649.73	364.50	2.75	0.77	1.88	0.65	0.00	0.00
कुल		**10773.47**		**9008.38**		**7037.45**		**8412.97**		**6963.08**
स्रोत: डीजीसीआईएस										

भारत का फसलों का निर्यात - देश-वार					
					मूल्य मिलि. अमरीकी डालर में
देश का नाम	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
बांग्लादेश जन.गण	1053.86	1722.29	1248.35	1060.09	2362.35
चीन जन.गण	547.73	489.67	1000.29	1058.78	1827.03
सऊदी अरब	1038.34	1221.21	1281.88	1246.98	1300.13
अमेरीका	1029.41	1137.87	1083.10	1021.91	1161.63
संयुक्त अरब अमीरात	1360.92	1318.81	1057.19	916.46	1070.66
नेपाल	565.79	586.10	635.02	621.32	903.36
ईरान	806.60	1259.26	1982.65	1703.60	805.45
इराक	512.31	522.56	480.50	535.16	703.60
वियतनाम समाजवादी गणराज्य	818.56	926.37	724.79	341.69	699.00
मलेशिया	369.10	393.07	360.03	343.36	533.18
इंडोनेशिया	449.75	501.07	524.73	444.96	526.41
बेनिन	259.04	320.02	267.48	199.03	446.88
यूके	408.78	480.44	405.57	372.55	426.00
नीदरलैंड	349.65	448.65	417.62	408.21	394.26
यमन गणराज्य	147.84	239.77	283.99	250.18	378.65
सेनेगल	201.76	272.96	231.36	75.37	311.21
रूस	350.67	352.67	321.41	339.46	305.24
जर्मनी	321.73	370.51	320.52	309.77	300.08
कुवैत	269.20	309.04	307.92	320.34	289.34
टोगो	22.68	52.69	99.74	115.95	287.31
अन्य देश	5919.66	6418.79	6379.35	5341.32	6388.89
कुल	**16803.38**	**19343.82**	**19413.49**	**17026.49**	**21420.66**

भारत का फसलों का आयात - देश-वार					
					मूल्य मिलि.अमरीकी डालर में
देश का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
अमेरीका	1143.32	1419.55	1222.08	1559.17	1089.82
कनाडा	1156.51	707.68	183.39	406.62	528.25
अफगानिस्तान	278.76	392.81	404.86	492.2	477.04
म्यांमार	837.44	441.09	376.29	402.29	409.08
संयुक्त अरब अमीरात	21.82	77.37	474.78	618.64	351.88
तंजानिया गणराज्य	558.29	358.24	114.46	344.44	322.05
बेनिन	168.49	164.3	311.81	306.64	283.01
वियतनाम जन.गण	246.28	277.88	270.3	250.59	231.56
घाना	75.82	109.38	216.91	141.13	188.99
चीन जन.गण	306.5	228.61	129.33	169.96	182.48
इंडोनेशिया	146.45	148.03	152.14	187.95	180.91
मोजाम्बिक	217.46	106.92	162.08	172.4	174.24
ऑस्ट्रेलिया	1824.97	1329.15	196.95	163.2	167.48
श्रीलंका डी एस आर	131.7	175.26	148.08	148.93	151.87
बांग्लादेश जन.गण	19.37	9.14	22.44	106.48	144.74
कोटे डी आइवर	358.23	321.51	364.48	240.84	140.06
ईरान	141.79	163.31	75.41	94.62	136.37
मिस्र ए आरपी	85.29	100.58	103.58	126.7	133.14
गिनी बिसाऊ	210.17	255.42	122.82	123.94	126.5
टोगो	15.94	29.97	60.66	130.02	105.5
अन्य देश	2828.87	2192.18	1924.60	2226.21	1438.11
कुल	**10773.47**	**9008.38**	**7037.45**	**8412.97**	**6963.08**
					स्रोत: डीजीसीआईएस

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2803

दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय बागान के मजदूरों का कल्याण

2803. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा चाय क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के चाय बागान मजदूरों को चाय-बोर्ड द्वारा बड़ी संख्या में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो चाय बागान के मजदूरों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधाएं किस तिथि से प्रदान की जा रही हैं तथा इस संबंध में चाय बागान-वार कितने लाभार्थी हैं;

(घ) क्या उक्त मजदूरों के बच्चों को उनके भविष्य और शिक्षा के उद्देश्यों को देखते हुए भोजन और पानी की आपूर्ति की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो चाय बागान-वार कितने बच्चों को भोजन और पानी की आपूर्ति की गई है;

(च) क्या सरकार चाय बागान के मालिकों को राजसहायता प्रदान करती है; और

(छ) यदि हां, तो किन-किन मदों के लिए राजसहायता प्रदान की जाती है और चाय बागान-वार कितनी राजसहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से "चाय विकास और संवर्धन स्कीम" लागू कर रही है, जिसके घटक अर्थात् लघु चाय उत्पादकों के लिए रोपण विकास, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम हेतु सेक्टर विशिष्ट कार्य योजना, बाजार संवर्धन, अनुसंधान और विकास, कामगारों का कल्याण - लघु चाय उपजकर्ताओं के बच्चों और नीलामी सुधारों सहित विनियामक कार्य हैं।

(ख) और (ग): चाय बोर्ड वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान क्रियान्वित, "चाय विकास और संवर्धन स्कीम" के मानव संसाधन विकास (एचआरडी) घटक के तहत कतिपय कल्याणकारी गतिविधियों को लागू किया है, जिसका उद्देश्य कामगारों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, कामगारों के बच्चों को शिक्षा और उपजकर्ताओं/कामगारों के कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान मानव संसाधन विकास घटक के तहत चाय बागान-वार लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ) और (ड.): देश में चाय बागान कामगारों की कार्य स्थितियां रोपण श्रम अधिनियम (पीएलए), 1951 द्वारा शासित होती है। अधिनियम नियोक्ताओं को कामगारों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं,

बीमारी और मातृत्व लाभ तथा सामाजिक सुरक्षोपाय के अन्य रूप प्रदान करने को आदेशित करता है । इसमें चाय बागानों और उसके आस पास के स्थानों में चाय बागानों के कामगारों और उनके परिवारों के लाभ हेतु बच्चों के लिए शैक्षिणिक सुविधाएं, पेयजल, संरक्षण, कैंटीन, क्रेच और मनोरंजन सुविधाओं के लिए प्रावधान हैं। रोपण कामगार अधिनियम, 1951 के कल्याणकारी प्रावधानों को अब दो श्रम संहिताओं-व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने स्थितियां, कोडश् 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा कोड में समाहित कर दिया गया है। रोपण श्रम अधिनियम, 1951 को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

(च) और (छ): वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान चाय बोर्ड द्वारा क्रियान्वित चाय विकास और संवर्धन स्कीम के तहत, रोपण/पुनर्रोपण/पुनर्जीवन, सिंचाई, मशीनीकरण, परम्परागत चाय उत्पादन फैक्ट्रियों की स्थापना, स्व-सहायता समूह (एसएचजी)/कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), मूल्यवर्धन आदि के लिए पात्र चाय पणधारकों को सब्सिडी प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान चाय-बागान वार दी गई सब्सिडी राशि अनुबंध-II में दी गई है।

***

अनुबंध-I

वर्ष 2020-21 के दौरान मानव संसाधन विकास घटक के अंतर्गत चाय बागान वार लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र.सं	चाय बागान का नाम	लाभार्थियों की संख्या	क्र.सं	चाय बागान का नाम	लाभार्थियों की संख्या
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र		31	लंकाशी	5
1	अचाबाम	1	32	लूंगसूंग	1
2	अम्लुकी	1	33	माजुली	1
3	अट्टारीखाट	4	34	मेनोका चा.सं.	14
4	बागजान	1	35	मिजिकाजनचा. सं.	4
5	बक्सा	2	36	नागरीजुलीचा.सं.	122
6	बरपानी	1	37	नाहोरटोलीचा.सं.	2
7	बज़ालोनी	30	38	नोनैपाड़ाचा.सं.	104
8	बोकाहोला	3	39	पानिटोलाचा.सं.	4
9	बोकेल	1	40	फुलवारी	1
10	बोरोज़ालिंगाह	1	41	रोमाईचा.सं.	13
11	चापरचा.सं.	3	42	रुपाईचा.सं.	1
12	चोइबारी	14	43	रटनपुर	1
13	सिन्नामाराचा.सं.	2	44	सिंगरी चा.स.	1
14	ढेकियाजुली	1	45	ताराजुली	1
15	डिकोम	9	46	तेंगपानी	1
16	डिरोक	1	47	तेओकचा.सं.	2
17	डूमनीचा.सं.	3	48	थानाई	2
18	दोयांग	2	49	ट्यूलिप चा.सं.	1
19	गिंगिया चा.सं.	17	50	उमातारा	2
20	हरमुट्टी	9		**उत्तर बंगाल**	
21	हत्तीगोरचा.सं.	3	51	आईभील	1
22	इरिंगमारा	1	52	अंबारी	3
23	इटाखूली	1	53	अंबूटिया	9
24	जालाननगर साउथ	1	54	आनंदपुर	2
25	जियाजुरी	3	55	बगराकोट	10
26	कामरबुंधा	1	56	बानारहाट	5
27	केलीडेन	3	57	बारादिघी	3
28	कीहंग	2	58	बाटाबाड़ी	5
29	खारजन चा.सं.	11	59	बीच	4
30	लंघारजन चा.सं..	11	60	भानोबाड़ी	1

61	भाटपाड़ा	5	92	हंसक्वा	5
62	भोजनारीन	1	93	हंतापारा	7
63	बिजालिमोनी	1	94	हिल्ला	3
64	बिनागुरी	3	95	होप	2
65	बीरपाड़ा	1	96	इंडोंग	2
66	बुंदापानी	28	97	जयंती	1
67	केंद्रीय डूअर्स	3	98	जयंतिका	27
68	चूनाभूति	4	99	जिति	1
69	चुआपाड़ा	3	100	जॉयपुर	1
70	चालसा	1	101	कलाबारी	4
71	कूचबिहार	1	102	कमला	6
72	दगापुर	2	103	कमला बागान	5
73	दलगांव	3	104	करबाला	16
74	डाल्मोर	1	105	कटालगुड़ि	7
75	डाम डिम	14	106	किरणचंद्र	1
76	दंगुआझाड़	1	107	कुमलाई	5
77	देबपाड़ा	5	108	लखीपाड़ा	9
78	धरणीपुर	9	109	लंकापाड़ा	5
79	डायना	13	110	लीशरीवर	1
80	डमचिपाड़ा	29	111	लुकसान	12
81	फागु	1	112	लोपचु	1
82	फुलबारी पाटन	2	113	लोअर फागू	9
83	गांध्रापारा	18	114	मधु	1
84	गंगाराम	2	115	मांझा	2
85	गरगंडा	9	116	मरापुर	2
86	गयागंगा	2	117	मैरीबोंग	2
87	घाटिया	2	118	माटेली	4
88	गिरिशचंद्र	1	119	मतिधार	4
89	गुल्मा	54	120	मातृ	3
90	गंगाराम	5	121	मेचपाड़ा	9
91	ग्याबरी एंडमिलिकिथोंग	1	122	मीनग्लास	3

123	मोगुलकट	7	154	सिली	2
124	मूर्ति	1	155	टी एन चौधरी	1
125	मोराघाट	5	156	ताइपू	15
126	नागदला	1	157	तिरिहन्नाह	6
127	नागराकटा	1	158	तोरसा	1
128	नया सिली	4	159	टोटापाड़ा	5
129	नेपुचापुर	1	160	तुलसीपाड़ा	2
130	न्यू चुमता	12	161	अपर फागु	2
131	न्यू ग्लेनको	1	162	वाशबाड़ी	1
132	निम्तिझोड़ा	1	163	ज़्यूरेंटी	1
133	निश्चिंतपुर	4		**दक्षिण भारत**	
134	नोवेरा नड्डी	1	164	अक्कामलाई एस्टेट	3
135	ऑर्ड टेराई	17	165	अर्नाकेल एस्टेट	9
136	पहाड़गूमियाह	14	166	बोनामी टी एस्टेट	1
137	पलाशबाड़ी	5	167	बोनाकार्ड	1
138	पानीघट्टा	111	168	बोनामी	11
139	राधारानी	1	169	बर्नसाइड एस्टेट	1
140	रामबूटी	3	170	काराडि गुडी एस्टेट	3
141	रामझोड़ा	1	171	कैरेलिन टी एस्टेट	2
142	रेड बैंक	10	172	चिंथालर	5
143	संकोस	5	173	चिंथालार	2
144	सन्यासीथान	1	174	चेमब्रा एस्टेट	1
145	सरस्वतीपुर	3	175	चेराकारा टी एस्टेट	1
146	सिखरपुर	1	176	चेरामबाडी टी डिवीशन	2
147	सिमुलबारे	10	177	चेरंगोडे टी डिवीशन	3
148	सिंघानिया	2	178	चुंडावुर्राय एस्टेट	16
149	सूंगाछि	1	179	चुराकुलम टी एस्टेट (प्रा.) लिमिटेड	1
150	सुभासिनी	2	180	कुन्नूर टी डिवीशन	28
151	सुकना	2	181	कुन्नूर टी डिवीशन	1
152	सुमरीपानी	2	182	कुन्नूर टी एस्टेट	1
153	सुरेंद्र नगर	38	183	क्रेगमोर प्लांटेशन (आई) प्राइवेट लिमिटेड	1

184	क्रेगमोर	1	218	नेल्लीयालम	2
185	देवरशोला टी एस्टेट	3	219	न्यू होप एस्टेट	1
186	देवाशोलाएस्टेट	1	220	नुल्लातानी एस्टेट	7
187	डंसंडल एस्टेट	4	221	न्यामाकड़ एस्टेट	11
188	गजम मुडी एस्टेट	2	222	ऊथु एस्टेट	1
189	ग्लेनडेल एस्टेट	1	223	पचैमलाई एस्टेट	3
190	ग्लेनमेरी एस्टेट	2	224	पंडियार टी डिवीशन	34
191	ग्लेनमॉर्गन एस्टेट	2	225	पंडियारटी डिवीशन	2
192	गुडराले एस्टेट	35	226	परलाई एस्टेट	1
193	गुंडुमले एस्टेट	8	227	पार्कसाइड एस्टेट	6
194	हेलीबुरिया एस्टेट	4	228	पसुमुले एस्टेट	1
195	अय्यरपदी	1	229	पचमलाई	1
196	अय्यरपदीएस्टेट	2	230	पेनशर्स्ट एस्टेट	1
197	कदमाने एस्टेट्स कंपनी	1	231	पेरियाकनाल एस्टेट	3
198	कटारी	1	232	पुलीवासल एस्टेट	7
199	कटारीएस्टेट	3	233	रिपन	2
200	केडीएचपी	13	234	रौसदोनमुलाई टी एस्टेट	7
201	किल कोटागिरी एस्टेट	3	235	सेमनिवैली एस्टेट	3
202	कोटाडा एस्टेट	1	236	सिरुवानी टी एस्टेट	2
203	कोटागिरी चाय प्रभाग	1	237	स्वामी एंड स्वामी प्लांटेशन प्रा. लिमिटेड	1
204	कोट्टमलाई टी एस्टेट	2	238	तलायार एस्टेट	1
205	लॉसन चाय प्रभाग	1	239	थायमुडी एस्टेट	2
206	लेचमी एस्टेट	30	240	द नॉनसुच टी एस्टेट	20
207	लॉकहार्ट एस्टेट	1	241	थियाशोला	12
208	लोनट्री	6	242	टायफोर्ड एस्टेट	1
209	मदुपट्टी एस्टेट	27	243	अपर सूरियानाले	1
210	मेलूर एस्टेट	1	244	यूरालिकल एस्टेट	3
211	मलकीपराई एस्टेट	3	245	वाघमौन टी गार्डन	1
212	मनालारू	1	246	वेल्लामलाई एस्टेट	1
213	मंजोलाई एस्टेट	1	247	वालार्डी टी एस्टेट	1
214	मुक्कोट्टुमुडी	1		**हिमाचल प्रदेश**	
215	मुक्कोट्टुमुडी एस्टेट	1	248	बैजनाथ टी एस्टेट	3
216	नादुमलाई एस्टेट	1		**अखिल भारत कुल**	**1561**
217	नादुवट्टम चाय प्रभाग	3			

स्रोत: टी बोर्ड

अनुलग्नक-II

<u>वर्ष 2020-21 के दौरान चाय बागान-वार दी जाने वाली सब्सिडी की राशि</u>

क्र.सं	चाय बागान का नाम	रू. लाख में	क्र.सं	चाय बागान का नाम	रू. लाख में
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
1	ऐभील	23.36	31	डिलाराम	4.75
2	अम्बारी	50	32	एनगो	7.79
3	अम्बॉक	20.73	33	फुलबाड़ी	2.51
4	आनंदपुर	46.91	34	गैरखाटा	13.24
5	आशापुर	19.61	35	गांड्रापाड़ा	37.58
6	अटल	6.38	36	घाटिया	51.17
7	आज़मागड़	0.47	37	गिड्डापाहाड़	6.34
8	बैंटगूड़ी	136.17	38	गींग	6.17
9	बानौकबर्न	1.94	39	ग्लेनबर्न	7.39
10	बाटाबाड़ी	8.95	40	गुड होप	45.79
11	बीच	13.52	41	गुमटि	6.18
12	भंदापुर	0.71	42	गोपालधारा	9.49
13	भार्नोबाड़ी	135.44	43	गोपालपूर	12.64
14	भटकावा	13.76	44	गुरजंगझोड़ा	24.62
15	भागोतपूर	24.35	45	ग्याबरी और मिलिकथोंग	6.66
16	बिजोलीमोनी	16.93	46	हंसक्वा	61.77
17	बीनागुड़ी	3.31	47	हनुमते एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	3.31
18	कैस्लटन	1.05	48	हिंदुस्तान फ्रूट प्रोसेसिंग वर्क्स	6.05
19	सेन्ट्रल डुअर्स	40.34	49	होप	5.77
20	चलाओनि	24.59	50	हल्दीबाड़ी	65.75
21	चेंगमारी	13.9	51	इंडांग	96.39
22	चुआपाड़ा	13.62	52	जादबपूर	26.27
23	चाल्सा	45.88	53	जलढक्का आल्ताडांगा	11.88
24	कूचबिहार	9.69	54	जयंतिका	35.62
25	डलगाँव	26.35	55	जीति	9.43
26	डलसिंहपाड़ा	56.8	56	जोगेश चन्द्र	40.39
27	दंगाँवझाड़	56.99	57	जोगीझोड़ा	6.57
28	देबीझोड़ा	101.1	58	जुंगपांग	2.11
29	धौलाझोड़ा	102.68	59	कैलाशपूर	8.52
30	डियाना	26.53	60	कराला वैली	18.87

61	कारबला	31.51	93	ओकेटि	2.44
62	काटालगुडी	33.85	94	ऊदलाबाड़ी	22.56
63	किरन चन्द्रा	110.74	95	ऑरेंज वैली	19.68
64	कुमाई	3.57	96	ऑर्ड तराई	36.52
65	कुमारग्राम	26.42	97	पहाड़गूमियाह	22.26
66	लक्खीपाड़ा	22.07	98	फोब्सरिंग	9.23
67	लिंगिया	12.26	99	फुगुरी	5.95
68	लोहागढ़	33.35	100	पुसीम्बिंग	3.18
69	लूकसंग	22.78	101	पत्थरझोड़ा	32.71
70	लोपचू	3.97	102	रहिमपूर	21.81
71	मैनाक हिल्स	2.36	103	राजा	53.52
72	मझेरदाब्री	29.27	104	रानीछेरा	172.35
73	मारापूर	7.74	105	रिंगटांग	21.66
74	मार्ग्रेट्स होप	12.16	106	सचिंद्र चंद्र	39.03
75	मारियोनबारी	4.45	107	सामाबेओंग	6.75
76	मथुरा	61.61	108	सांकोस	62.38
77	माटीधार	54.6	109	सन्यासीथान	30.57
78	माटीगारा	9.24	110	सरस्वतीपुर	35.25
79	मेटपारा	69.45	111	सैयदाबाद	24.76
80	मेरी व्यू	76.39	112	सीयोक	4.07
81	मिशन हील	8.28	113	सेलिमबोंग	0.89
82	मोहरगोंग और गुलमा	39.51	114	सिंगल	3.73
83	मोराघाट	28.08	115	सुम	1.29
84	नागराकाटा	11.54	116	सौरैनी	5.26
85	नाग्री फार्म	28.26	117	स्प्रिंगसाइड	1.68
86	नांगडाला	53.67	118	ताइपू	44.99
87	नेपूचापूर	18.88	119	तंझोरा	16.69
88	न्यू ग्लेनको	51.55	120	थर्बो	14.26
89	न्यूलैंड्स	94.42	121	तिंधरिया	6.55
90	नीमटीझोड़ा	9.93	122	तूनबरी	10.84
91	नॉर्थ टकवार	2.1	123	तकदाह	9.37
92	नोवेरा नड्डी	9.03	124	तकवार	17.68

125	तुमसोंग	7.08	159	बोकेलो	77.46
126	अपर फागु	1.52	160	बोरबाम	17.07
127	वाशबरी	85.48	161	बोईबि	44.06
128	ज़ुरेंटी	50.39	162	बोरेंगाजुलिक	21.08
	असम		163	बोरहाट	13.12
129	अच्चाबाम	17.37	164	बोरजान	29.13
130	आड्डाबाड़ी	35.09	165	बोरपात्रा	24.79
131	ऐनाकल	0.86	166	बोरसापोरी	25.91
132	ऐदेओबरी	7.05	167	बुदलाभेटा	36.16
133	अलिमूर	3.43	168	बुदलापाड़ा	15.44
134	आमचांग	18.24	169	बुकियाल	10.59
135	आनन्द	2	170	बुन्दूकमार	18.39
136	आनन्दबाड़ी	27.48	171	बुरापहाड़ी	22.76
137	आट्टाबाड़ी	9	172	बर्टोल	41.22
138	अटारीखाट	14.64	173	चंडीघाट	9.38
139	अज़ीज़बाग़	5.84	174	चापार	33.54
140	बागजान	55.09	175	चारद्वार	11.11
141	बाघमारी	8.82	176	चेरिदेओपुरबट	0.79
142	बजरंगपूर	29.03	177	चिकोंमाटी	4.34
143	बालिजानी	1.64	178	चोइबारी	25.77
144	बरनगुर	2.65	179	चुबवा	55.34
145	बासमटिया	25.66	180	कुम्बरग्राम	33.85
146	बौघपारा	6.53	181	कोरामोर	12.1
147	बीसकोपी	21.2	182	दैसाजान	32.17
148	बेहोरा	16.29	183	डीमूली	4.75
149	बेहुबोर	33.47	184	डेकियाजुली	1.24
150	बेनोदनगर	5.23	185	देजू	76.65
151	बेटीबाड़ी	27.36	186	डेकोराई	2.5
152	भूतचैंग	83.28	187	डर्बी	9.73
153	भुबरीघाट	32.66	188	डिसाम	12.07
154	बिन्नाकांडी	46.74	189	दिवान	4.62
155	बिरझोड़ा	13.85	190	ढेलाखाट	23.66
156	बोगापानी	6.85	191	ढोलाई	19.08
157	बोगीजान	8.86	192	धुली	13.93
158	बोकाहोला	19.3	193	डिफलू	13.91

194	डिकॉम	11.64	226	जगदंबा	4.28
195	डिकसाम	28.74	227	जालनगर	14.71
196	डिमाकुशी	1.11	228	जेलालपुर	1.64
197	डिराई	5.5	229	जियाझुरी	20.39
198	डिराई	19.99	230	जोबोका	20.91
199	दोयांग	17.75	231	जोधपूर टी	5.45
200	डफलाघुर	23.28	232	जोरबाघ	7.85
201	डफ्लैटिंग	0.23	233	जुतलिबारी	14
202	डुकलिंगिया	14.83	234	कछारीगाँव	41.42
203	दुलबचेरा	26.43	235	काकाजान	21.68
204	एथेलवॉल्ड	12.2	236	कालीन	6.44
205	गबरू पुरबात	4.33	237	कामख्याबारी	22.06
206	घोइराल्ली	33.34	238	कमला	0.13
207	गिंगिया	51.77	239	कमला टी प्रोसेसिंग उद्योग	5.14
208	गोगरा	1.71	240	कमरबंद	35.01
209	गणेशबाड़ी	12.33	241	केलीडेन	26.05
210	हालेम	40	242	कैहंग	7.79
211	हनुमानबाग	16.31	243	खागोरीजान	7.65
212	हापजानपुरबत	2.75	244	खरीकाटिया	12.61
213	हारचुराह	17.8	245	खारजन	54.05
214	हारमुट्टी	34.71	246	खेटोजान	8.58
215	हाथीकुली	23.74	247	खोबांग	13.1
216	हातिदुबी	5.26	248	खोना	24.46
217	हटियालि	38.65	249	खोनगिया	0.33
218	हट्टीगोर	32.38	250	कोकड़ाझाड़	13.96
219	हिलीका	37.56	251	कोलोनि	12.46
220	हिराजुली	31.85	252	कुमबर	43.45
221	होकोनगुडी	42	253	कुमसोंग	21.91
222	हुलुंगूरी	21.8	254	कुमटाई	54.7
223	इरिंगमारा	31.03	255	कृष्णा	1.02
224	इताखुली	16.11	256	कृष्णा सुशाईबारी	5.8
225	जाबोका	12.9	257	कृष्णा टी इंडस्ट्रीज़	0.88

258	कृष्णाकाली	15.88	291	मोह्नबाड़ी	9.87
259	लाबाक	19.2	292	मोकालबाड़ी	36.35
260	लक्ष्मीजान	13.38	293	मोकरंग	5.7
261	लाल्लामुख	27.35	294	मोनाबारै	29
262	लामाबाड़ी	14.64	295	मोनिर्खाली	5.23
263	लंघार्जन	16.96	296	मोनोमोह्निनीपुर	6.84
264	लंकाशी	30.85	297	मुरफुलानी	13.86
265	लत्ताकूजन	15.99	298	मुत्तरपुर	7.77
266	लेंगराय	6	299	मुत्तुक	34
267	लेपेटकट्टा	17.52	300	नागरिजुली	45.3
268	लिंबुगुरी	33.22	301	नाहरहबी	22.28
269	लुकुआ	23.02	302	नाहोरानी	48.99
270	माकीपुर	65.54	303	नालनी	22.99
271	माधोपूर	29.34	304	नम्बर्नदी	30.76
272	मधुबन	29.07	305	नामडांग	2.13
273	मधुटिंग	55.02	306	नम्सांग	26.18
274	माहाबीर	5.82	307	नापुक	1.2
275	महाकाली	1.3	308	नरसिंगपुर	6.08
276	मैजोंगा	5.68	309	निल्मोनी	4.79
277	माजुलीघुर	57.95	310	नोखरॉय	28.15
278	मालिब्रू	13.66	311	नोनैपारा	26.85
279	मानाबारी	16.71	312	नोनोई	56.05
280	मानकोट्टा	4.56	313	नुमालीघुर	11.63
281	मनीपूर	31.63	314	न्यागोग्रा	24.87
282	मंजुश्री	10.66	315	ओरंगजुली	32.82
283	मारांगी	2.81	316	पानीरी	0.6
284	मार्टीछेरा	36.89	317	पानीटोला	20.37
285	मौड	4.57	318	पथेमारा	5.93
286	मेलेंग	20.08	319	पेंगारी	48.75
287	मेनोका	37.2	320	परतापगढ़	52.93
288	मेथोनी	43.9	321	फिलोबारी	29.33
289	मिजिकाजान	76.19	322	फुलबारी	17.8
290	मोदी टी & इंडस्ट्री	1.81	323	प्राइमरोज़ ग्रीन टी इंडस्ट्री	2.81

324	रैडांग	1.33	359	तेजपोर और गोगरा	19.15
325	राजहल्ली	35.53	360	तिनखरिया	101.72
326	रानी	9.78	361	तोंगनागांव	40.59
327	रोमाई	6.47	362	तौकोक	37.09
328	रोज़कांडी	33.41	363	टायरून	78.67
329	रूंगजौन	20.44	364	वर्नेरपुर	14.85
330	रूपजुली	0.45	365	ज़ालोनी	43.96
331	सागमूटि	8.02		त्रिपुरा	
332	सालोनाह	65.07	366	धर्मानगर	3.55
333	सामडांग	39.21	367	गोलोकपूर	4.17
334	संसुआ	21.87	368	कोयाह	8.74
335	सैंटी	7.34	369	लुधुआ	0.15
336	सतीसपुर	13.33	370	माहेशपूर	0.3
337	सतरूपा	13.83	371	मानु वैली	12.42
338	सीजुली	25.06	372	मेखलीपाड़ा	4.32
339	सेपोन	14.1		**केरल**	
340	सेसा	20.39	373	अरिविकाड एस्टेट टी फैक्ट्री	32.78
341	शाकोमातो	20.57	374	अर्नाकल एस्टेट	17.4
342	श्यामगुरी	19.93	375	अरापेट्टा एस्टेट टी फैक्ट्री	71.68
343	श्यामरायपूर	8.71	376	चेलोटी एस्टेट टी फैक्ट्री	10.6
344	सिलोनीबारी	12.78	377	चित्तावुरी एस्टेट टी फैक्ट्री	22.22
345	सिंगलिजान	53.29	378	चुंडेल एस्टेट टी फैक्ट्री	75.74
346	सिंगरीमारी	17.33	379	चुंडावुर्राय एस्टेट टी फैक्ट्री	143.52
347	सोराइपानी	34.47	380	देवीकुलम एस्टेट टी फैक्ट्री	32.57
348	श्री सिब्बारी	11.84	381	कडालार एस्टेट टी फैक्ट्री	31.89
349	सुबोंग	11.24	382	लॉकहार्ट एस्टेट टी फैक्ट्री	52.21
350	सफ़्री	17.67	383	नल्लातानी एस्टेट	13.09
351	सुल्तानीचेरा	30.2	384	पट्टुमले एस्टेट टी फैक्ट्री	50.24
352	सुंदरपुर	14.65	385	सेंटिनाल रॉक एस्टेट टी फैक्ट्री	25.42
353	सुओला	25.89	386	सिरुवानी टी फैक्ट्री	3.75
354	सुप्रीम	6	387	तलपोया एस्टेट टी फैक्ट्री	25.99
355	टालुप	16.48	388	थेंगकल एस्टेट टी फैक्ट्री	20.92
356	टांगपानी	4.62	389	थेनमल्लई एस्टेट टी फैक्ट्री	22.75
357	ताराझुली	32.98	390	येलापट्टी एस्टेट टी फैक्ट्री	27.6
358	तेलोइजान	25.42			

	तमिलनाडु		413	मुरुगली एस्टेट	27.07
391	बर्नसाइड एस्टेट टी फैक्ट्री	19.64	414	नॉनसुच एस्टेट टी फैक्ट्री	3.72
392	कैरोलिन एस्टेट टी फैक्ट्री	6.39	415	ऊथु एस्टेट टी फैक्ट्री	6.91
393	चामराज एस्टेट टी फैक्ट्री	64.12	416	पचैमलाई एस्टेट टी फैक्ट्री	22.49
394	क्रेगमोर एस्टेट टी फैक्ट्री	39.38	417	पांडियन चाय उद्योग	0.98
395	देवशोला एस्टेट टी फैक्ट्री	29.87	418	परलाई एस्टेट	2.42
396	डॉलर टी इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड,	8.58	419	पार्कसाइड एस्टेट	22.19
397	डंसंडल एस्टेट टी फैक्ट्री	33.44	420	प्रमास टी इंडस्ट्रीज़	1.75
398	ग्लेनमॉर्गन एस्टेट टी फैक्ट्री	54.54	421	क्विनशोला टी फैक्ट्री	20.99
399	गोल्डन हिल टी प्लांटेशन	11.44	422	स्टैनमोर एस्टेट	11.31
400	ग्रीन टी एस्टेट	35.96	423	सुसेक्स एस्टेट	4.41
401	हौकल टी एंड प्रोड्यूस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,	73.02	424	सटन एस्टेट	38.67
402	हाईफील्ड टी फैक्ट्री	5.11	425	थाय मुडी एस्टेट टी फैक्ट्री	11.72
403	अय्यरपदी एस्टेट चाय फैक्टरी	14.51	426	यूनाइटेड नीलगिरी एस्टेट कंपनी लिमिटेड-कोरकुंडाह एस्टेट	3.69
404	कैरबेटा एस्टेट टी फैक्ट्री	32.85	427	टाइगर हिल टी फैक्ट्री	10.85
405	कैटरी एस्टेट	33.62	428	टुट्टापुलम एस्टेट टी फैक्ट्री	4.17
406	कील कोठागिरी एस्टेट चाय फैक्टरी	25.08	429	वेलोनी एस्टेट टी एस्टेट	1.54
407	कोडनाड एस्टेट	64.08	430	वेलबेक टी एस्टेट	5.46
408	कोटाडा एस्टेट टी फैक्ट्री	23.73	431	वेंटवर्थ एस्टेट टी फैक्ट्री	50.06
409	मेलूर एस्टेट टी फैक्ट्री	15.89	432	वुडलैंड्स टी फैक्ट्री	35.97
410	मणिमुत्तर एस्टेट टी फैक्ट्री	19.52		**हिमाचल प्रदेश**	
411	मैरिस एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा.लि.,	44.78	433	वाह टी एस्टेट	2.74
412	मेफील्ड एस्टेट टी फैक्ट्री	49.23			

स्रोत: टी बोर्ड

भारत सरकार	लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अतारांकित प्रश्न सं.2804
वाणिज्य विभाग	

दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

ईसीजीसी

2804. श्री राहुल रमेश शेवाले :

डॉ.प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड में 4400 करोड़ रूपये निवेश करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निवेश के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या पूंजी लगाने से 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) सरकार द्वारा पूंजी लगाने के बाद निर्धारित निर्यात लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या गत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा निर्यात संबंधी योजनाओं और पहलों की एक श्रृंखला शुरू की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अब तक कितने रोगार सृजितकिए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार ने ईसीजीसी लिमिटेड में 2021-22 से 2025-26 की अवधि में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कंपनी क्षमता को 88,000 करोड़ रुपये की जोखिम हामीदारी तक बढ़ाना है।

(ग) और (घ): फरवरी 2019 में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित 'नौकरियों के लिए निर्यात' पर रिपोर्ट के संदर्भ में, रूपये 5.28 लाख करोड़ के अनुमानित अतिरिक्त निर्यात से 2.6 लाख श्रमिकों का औपचारिकीकरण होगा। रिपोर्ट के अनुसार श्रमिकों की कुल संख्या (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों) में 59 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है।

(ड.): पूंजी के इनफ्यूजन से 2021-22 से 2025-26 की अवधि में 5.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निर्यात का समर्थन करने का अनुमान है।

(च) और (छ): विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता जैसे निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करो की छूट (आरओडीटीईपी), निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए), ब्याज समकरण स्कीम (आईईएस), बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम, के साथ अन्य व्यापार नीति हस्तक्षेप, भारतीय निर्यातकों की अपने सामान/सेवाओं के लिए विदेशी बाजारों तक पहुँच/सुरक्षित करने को सक्षम बनाती है। दीर्घावधि में भारतीय निर्यात की समग्र वृद्धि का निर्यात संबंधी गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के सृजन पर संचयी प्रभाव पड़ता है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2828

दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऑयल-मील और ऑयल-मील उत्पादों का निर्यात

2828. श्री गौतम सिगामणि पोन :
श्री जी. सेल्वम :
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैश्विक निर्यात में भारत के ऑयल-मील निर्यात की हिस्सेदारी को दर्शाते हुए प्रमुख देशों को निर्यात किए गए ऑयल-मील और ऑयल-मील उत्पादों की मात्रा और देश-वार मात्रा कितनी है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश से ऑयल-मील उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऑयल-मील के निर्यात में गिरावट के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार देश में ऑयल-मील उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन योजना लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा द्वारा ऑयल-मील सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख देशों को निर्यात किए गए ऑयलमील और ऑयलमील उत्पादों की मात्रा और देशवार विवरण को दर्शाते हुए वैश्विक निर्यात में भारत के ऑयलमील निर्यात की हिस्सेदारी **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख) और (ग) घरेलू बाजार में उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के कारण ऑयलमील का निर्यात वर्ष 2018-19 में 4493293 टन से घटकर वर्ष 2019-20 में 2655789 टन हो गया। तत्पश्चात, वर्ष 2020-21 में 4366554 टन (91.45% वृद्धि) **(अनुबंध- II)** के कुल निर्यात के साथ निर्यात में भारी वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 में इसी अवधि की तुलना में सितंबर, 2021 तक, ऑयलमील के निर्यात में 1.69% की वृद्धि हुई है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम (10,000 करोड़ रुपये का परिव्यय), और उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय) जैसी कई स्कीम को आधुनिक अवसंरचना निर्माण में सहायता, खाद्य निर्माण इकाइयों की स्थापना/उन्नयन, विकारी खाद्य में मूल्य श्रृंखला विकास, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन/स्थापना आदि के लिए वित्तीय, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सहायता आदि के लिए लागू कर रहा है। ऑयलमील उद्योग के लिए भी स्कीम उपलब्ध हैं।

(ड.) ऑयलमील सहित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक व्यापक कृषि निर्यात नीति (एईपी) पेश की है। वाणिज्य विभाग कृषि निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य स्कीम अर्थात् निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम आदि के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, कृषि उत्पादों के निर्यातकों को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और स्पाईसेस बोर्ड की निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत भी सहायता उपलब्ध है। सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माल ढुलाई के नुकसान को कम करने के लिए माल ढुलाई के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम-'निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता' भी शुरू की है।

*****

अनुबंध - I

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत का ऑयलमील का निर्यात

मात्रा टन में/मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

वस्तु	देश	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (सितंबर'21 तक)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ऑयल मील	अफगानिस्तान					491	0.25		
	अल्बानिया			135	0.02	6	0.01		
	अंगोला	0	0.00						
	ऑस्ट्रेलिया	1069	0.56	1332	0.86	1459	0.94	827	0.52
	ऑस्ट्रिया	3310	1.27	0	0.00				
	बहरीन पीआर	2524	1.00	0	0.00	1041	0.50		
	बांग्लादेश पीआर	582758	214.25	253324	72.82	671507	195.83	25393 2	72.05
	बेल्जियम	55083	21.46	240	0.03	71555	33.92	598	0.33
	भूटान	7466	2.94	10300	3.98	13033	4.75	6638	3.06
	ब्राज़ील	67	0.05	95	0.07	78	0.07	84	0.04
	ब्रुनेई	2188	0.98	255	0.13	1085	0.58		
	बुल्गारिया	78	0.08	185	0.17	609	0.52	22	0.04
	कंबोडिया	26442	7.34	7528	1.69	23303	4.76	11183	2.18
	कैमरून	15	0.01						
	कनाडा	48400	27.84	53801	30.58	56480	32.84	13327	12.25
	चिली			1	0.00			0	0.00
	चीन पी आरपी	6611	1.23	3129	0.63	40550	20.03	13886	6.39
	कांगो डी. रिपब्लिक	100	0.05						
	कांगो पी रिपब्लिक					95	0.06		
	कोट डी' आइवरी	296	0.11			0	0.00		
	क्रोएशिया					0	0.00		
	चेक रिपब्लिक	1	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00
	डेनमार्क	128	0.07			10738	7.55	8140	6.24
	ज़िबूटी	12	0.00			0	0.00		
	डोमिनिका	0	0.00						
	इक्वाडोर	98	0.06	784	0.45	3927	2.56	746	0.53
	इजिप्ट ए आरपी	20	0.01	19	0.01	21	0.01		
	इक्वेटोरियल	0	0.00						

	गिनी								
	फिजी आईएस	0	0.00			20	0.01		
	फिनलैंड	560	0.37	520	0.33	1500	1.05	42	0.03
	एफआर पॉलिनेशिया							0	0.00
	फ्रांस	269260	104.60	22953	10.57	176769	88.03	44657	25.33
	गैबॉन	1	0.00	3	0.00			95	0.07
	गाम्बिया	7	0.00			36	0.01	6	0.00
	जॉर्जिया	1	0.00						
	जर्मनी	91052	42.81	777	0.48	142255	79.86	37586	20.85
	घाना			23	0.00				
	ग्रीस	453	0.28	554	0.35	951	0.61		
	गिनी			10	0.00	13	0.01		
	होंडुरस					0	0.00	0	0.00
	हॉगकॉग	2	0.00	2	0.00	7	0.01	1	0.00
	हंगरी							0	0.00
	इंडोनेशिया	51288	14.90	15621	5.81	210204	102.87	9513	3.63
	ईरान	479742	210.41	164572	76.37	86486	38.93		
	इजराइल	549	0.32	1677	1.02	2156	1.32	419	0.24
	इटली	3258	1.09	991	0.31	6775	4.06	1145	0.60
	जमैका	28	0.03			29	0.03		
	जापान	172753	69.71	72492	32.43	71253	32.38	29419	18.09
	जॉर्डन	155	0.09	105	0.06	102	0.06		
	कजाखस्तान					2	0.00		
	केन्या	29807	12.59	4537	2.06	1124	0.55	2	0.00
	कोरिया आरपी	709824	146.66	787270	148.72	726158	146.32	35969 3	87.03
	कुवैट	38931	16.04	5635	2.55	15223	7.12	3997	1.95
	किर्गिज़स्तान			1	0.00				
	एलएओ पीडी आरपी	3247	0.64	3104	0.68	1359	0.25		
	लातविया	9	0.00	20	0.01	87	0.04	17	0.02
	लेबनान							0	0.00
	मेडागास्कर	28382	12.55	25878	12.08	11249	4.90	1088	0.78
	मलेशिया	12447	4.26	11821	4.26	21141	9.02	6426	2.91
	मालदीव	0	0.00	1	0.00	1 1	0.01	1	0.00
	मॉरिटानिया			20	0.00	19	0.01		
	मॉरीशस	25	0.01	200	0.11	73	0.05	31	0.04
	मेयोट्टे	378	0.15			184	0.10		
	मेक्सिको	0	0.00	300	0.59	861	1.40	420	0.56

	मोल्डोवा	9	0.01	0	0.00	1	0.00	0	0.00
	म्यांमार	90917	33.40	55266	18.49	53324	19.90	14591	5.14
	नेपाल	217271	88.28	130497	52.53	240862	102.39	35782	13.91
	नीदरलैंड	23211	11.73	12861	7.90	108975	62.65	30258	18.46
	न्यू केलडोनिया	3737	1.88	3665	1.83	3374	1.76	575	0.35
	न्यूजीलैंड	644	0.36	1090	0.61	1160	0.69	205	0.16
	नाइजीरिया			0	0.01				
	नॉर्वे	0	0.00			3202	2.17	565	0.45
	ओमान	17114	5.70	3701	0.95	16434	4.68	3984	0.78
	पेरू	418	0.21						
	फिलिपींस	8495	2.19	6973	1.72	6676	1.88	1411	0.54
	पोलैंड	337	0.19	313	0.18	91	0.06		
	पुर्तगाल			21	0.01				
	कतर	16392	6.91	903	0.41	3394	1.78	165	0.06
	रीयूनियन	1406	0.81	2615	1.41	2403	1.36	1154	1.09
	रोमानिया	73	0.04	1	0.00	5	0.00	0	0.00
	रूस	826	0.43	626	0.19	738	0.27	193	0.08
	रवांडा	2181	0.96	292	0.14	0	0.00		
	सऊदी अरब	4511	2.28	101	0.03	10538	5.65	40	0.03
	सेनेगल	84	0.02	42	0.01	136	0.04	116	0.04
	सेशल्स	1147	0.42	1110	0.53	820	0.43	444	0.34
	सिंगापुर	9743	3.94	1019	0.59	2171	1.13	240	0.19
	स्लोवेनिया	1 1	0.01	113	0.03	235	0.06	119	0.03
	सोमालिया	159	0.07	0	0.00				
	दक्षिण अफ्रीका	153	0.10	150	0.07	32	0.02	0	0.00
	दक्षिण सूडान			0	0.00				
	स्पेन	44202	16.40	2264	1.38	15962	10.24	4049	3.07
	श्रीलंका डीएसआर	46654	20.02	13708	7.54	38157	19.19	7317	5.37
	सेंट विंसेंट	12	0.00						
	सूडान	2068	0.79	1102	0.47	197	0.08		
	सूरीनाम			21	0.01				
	स्वीडन	3016	1.89	3831	2.50	4657	3.11	325	0.31
	स्विट्ज़रलैंड			0	0.00	70	0.01		
	ताइवान	129637	19.72	136444	19.95	138267	19.32	59235	10.04
	तंजानिया रिपब्लिक	11053	4.56	1959	0.91	706	0.35		
	थाईलैंड	294565	70.57	210590	49.16	182649	47.74	99227	29.28
	टोगो							0	0.00
	त्रिनिदाद	9	0.00	1	0.00				

	तुर्की	813	0.45	810	0.48	16579	8.76	219	0.22
	संयुक्त अरब अमीरात	3033	0.89	2529	0.61	2143	0.53	830	0.26
	यूके	11340	6.49	16205	9.70	62168	38.41	8272	5.17
	अमेरीका	249720	149.74	296851	173.75	414380	249.29	62215	51.28
	युगांडा	267	0.11	116	0.05	0	0.00	0	0.00
	यूक्रेन	69	0.02	174	0.07	95	0.03		
	वियतनाम सोशल रिपब्लिक	668883	140.07	297599	63.37	663928	156.89	330706	57.05
	जाम्बिया	288	0.18	10	0.02	0	0.00	0	0.00
कुल		**4493293.00**	**1508.65**	**2655789.00**	**827.90**	**4366554.00**	**1585.04**	**1466179.00**	**469.47**

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

**आंकड़े अनंतिम हैं और परिवर्तन के अधीन हैं।

<u>वैश्विक निर्यात में भारत के ऑयलमील निर्यात का हिस्सा, 2018-2020 से%</u>

निर्यातक	2018	2019	2020
इंडिया	3.8	3.5	3.5

(स्रोत: आईटीसी व्यापार मानचित्र)

अनुबंध - II

2018-19 से 2021-22 तक (सितंबर 21 तक) भारत का ऑयलमील और ऑयलमील उत्पादों का निर्यात

वस्तु	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2020-21 (सितंबर' 20 तक)**	****2021-22 (सितंबर'21 तक)**	**19-20 की तुलना में 20-21 में % वृद्धि**	**20-21 (सितंबर'20 तक) की तुलना में 21-22 (सितंबर'21) तक में % वृद्धि**
ऑयल मील	1508.65	827.90	1585.04	461.65	469.47	91.45	1.69

**आंकड़े अनंतिम हैं और परिवर्तन के अधीन हैं।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2839

दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी

2839. श्री एस जगतरक्षकन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में व्यापारिक और सेवा क्षेत्र के निर्यात की हिस्सेदारी को मौजूदा 10.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक 15 प्रतिशत करने के लिए कोई स्कीम तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : राज्य और जिलों में सभी हितधारकों को शामिल करके लक्ष्य-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयासों की निगरानी, सहायता और चैनेलाइज करके सुगम बना रही है और इसके द्वारा जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रही है। महामारी के बावजूद, 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में भारत के कुल निर्यात (माल और सेवा) की हिस्सेदारी 18.7 प्रतिशत थी, जो पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक है। चालू वित्त वर्ष में निर्यात ने 2021-22 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की 21.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है

(ख) और (ग): वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात और इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित है :

1) 'निर्यात हब के रूप में जिले' (डीईएच) पहल जिसके तहत देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। प्रत्येक जिले में जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। डीईपीसी का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और जिला स्तरों के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना तैयार करना और उन पर कार्य करना है।

2) कृषि उत्पादों के निर्यात और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल ढुलाई के नुकसान को कम करने, माल ढुलाई के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए)" कार्यान्वित की जा रही है।

3) बाजार पहुँच पहल (एमएआई) स्कीम एक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम है जिसकी परिकल्पना सतत आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में की गई है। यह स्कीम बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण के माध्यम से विशिष्ट बाजार और विशिष्ट उत्पाद विकसित करने के लिए उत्पाद केंद्रित देश केंद्रित के दृष्टिकोण पर तैयार की गई है। निर्यात संवर्धन संगठन/व्यापार संवर्धन संगठन/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/प्रयोगशालाएं, निर्यातक आदि को नए बाजारों तक पहुंच या मौजूदा बाजारों में हिस्सेदारी को बढ़ाकर निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

4) इसके अलावा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और स्पाइसेस बोर्ड की निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत भी कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध है।

5) निर्यात के विकास के लिए उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2017-18 से निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) चालू है।

6) सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) की शुरूआत की है। यह स्कीम केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न चरणों में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क/कर/लेवी की छूट प्रदान करती है, जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में व्यय की जाती है, लेकिन वर्तमान में किसी अन्य शुल्क छूट स्कीम के तहत वापस नहीं की जा रही है।

7) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग बढ़ाने के लिए मूल के प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म।

8) ईपीसी,कमोडिटी बोर्ड और विदेशों में भारतीय मिशन सक्रिय रूप से भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2844

दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

एन.आई.एन.एल.का विनिवेश

2844. श्री महेश साहू :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि एन.आई.एन.एल. के कर्मचारियों को मार्च, 2020 से वेतन नहीं मिल रहा है, ओडिशा स्थित नीलांचल इस्पाल निगम लिमिटेड के विनिवेश को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या एन.आई.एन.एल. को ए.टी.एल/आर.आई.एन.एल./एन.एम.डी.सी. के साथ विलय करके इससे प्रचालन शुरू नहीं किए जाने का कोई कारण है जैसा कि एन.आई.एन.एल. कैप्टिव माइन्स का प्रचालन एन.एम.डी.सी. की वित्तीय सहायता से शुरू किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो एन.आई.एन.एल. के पुनरूद्धार का कारण क्या है क्योंकि इसमें मार्च, 2020 से उत्पादन बंद पड़ा है;
(घ) क्या विनेवेश अवधि के दौरान एन.आई.एन.एल. के कर्मचारियों को वेतनमान पुनरीक्षा, डी.पी.सी., वी.आर.एस., पेंशन आदि दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) क्या विनिवेश के बाद एन.आई.एन.एल.के कर्मचारियों की सेवाशर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.) : भारत सरकार ने 08.01.2020 को एक ही लेन-देन के माध्यम से एनआईएनएल में सभी 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सम्पूर्ण शेयरधारिता और ओडिशा सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रमों की शेयर-धारिता (93.71%) के कार्यनीतिक विनिवेश के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है। 25.01.2021 को रूचि की अभिव्यक्ति (इओआई) आमंत्रित की गई थी। बोलीदाताओं की चयनित सूची और सम्यक तत्परता की एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद, अर्हित हितबद्ध बोलीदाताओं (क्यूआईबी) से वित्तीय बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज जारी किया गया है। कर्मचारियों के दिसंबर, 2020 तक के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

एनआईएनएल के कार्यनीतिक विनिवेश के लिए सरकार द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है। बिक्री करने वाले शेयरधारकों ने विनिवेश प्राप्तियों के वितरण के लिए आपस में एक वाटरफॉल एग्रीमेंट किया है जो एनआईएनएल के विभिन्न देय और देनदारियों के भुगतान के लिए प्राथमिकता तय करता है जिसमें से कर्मचारियों की देय राशि को बिक्री की आय से सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बिक्री करने वाले शेयरधारकों और सफल बोलीदाता के बीच किए जाने वाले निश्चयात्मक करार में कर्मचारी सुरक्षा प्रावधान को शामिल किया जाना है।

***

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2860

दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

आयात संबंधी आंकड़े

2860 श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2009–10 से वित्त वर्ष 2021–22 तक आयात का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत छह वर्षों में आयात विकास दर में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क) से (घ): वर्ष 2009–10 से 2021–22 तक प्रतिशत परिवर्तन सहित भारत के समग्र (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) आयात का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	समग्र आयात का मूल्य (अमेरिकी बिलियन डॉलर में)
2009-10	348.40
2010-11	450.32
2011-12	567.55
2012-13	571.50
2013-14	528.95
2014-15	529.61
2015-16	465.64
2016-17	480.21
2017-18	583.11
2018-19	640.14
2019-20	602.98
2020-21	511.96
अप्रैल–अक्तूबर, 2020	250.44
अप्रैल–अक्तूबर, 2021 *	405.31

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता और आरबीआई (*: अनंतिम)

ऑकडे दर्शाते है कि भारत के आयात में वर्ष 2015–16, 2019–20 और 2020–21 के दौरान क्रमशः 12.08 प्रतिशत, 5.80 प्रतिशत आर 15.09 प्रतिशत की गिरावट आई।

आयात घरेलू उत्पादन और आपूर्ति, उपभोक्ता मांग और विविध उत्पादों हेतु प्राथमिकताओं के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए किया जाता है। सरकार ने घरेलू क्षमता का निर्माण/वृद्धि करने, उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन स्कीमो (पीएलआई), चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने, व्यापार उपचारात्मक विकल्पों के समयबद्ध उपयोग, अनिवार्य तकनीकी मानकों को अपनाने, मुक्त व्यापार समझौता, उदगम के नियमों को लागू करने, आयात निगरानी प्रणाली का विकास करने जैसे कई कदम उठाए है।

***

भारत सरकार | **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **अतारांकित प्रश्न सं० 2866**

<u>दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

ए.पी.आई. का आयात

2866 श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों से सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक (ए.पी.आई.) के आयात पर कोइ प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है और इस तरह के प्रतिबंध से पहले उनसे कितनी मात्रा में ए.पी.आई. का आयात किया जा रहा था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में भारत द्वारा निर्यात किए जा रहे ए.पी.आई. की मात्रा और प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कोविड–19 की प्रारंभिक अवधि के दौरान आपूर्ति में अचानक आई कमी को दूर करने के लिए भारत में ए.पो.आई. के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क) और (ख): सक्रिय भेषज सामग्रियों (एपीआई) के आयात पर कोई देश–वार प्रतिबंध नहीं लगाए गए है।

(ग): एपीआई जैसे डाईलोक्सानाइड फ्यूरोएट, सिमेटिडाइन, फेमोटिडाइन, हैट्रोसाइक्लिक यौगिक, अन्य एंटीबायोटिक्स और ईरिथ्रोमाइसिन और इसके व्युतपन्न साथ मिलकर भारत के एपीआई निर्यात के कुल मूल्य का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है।

पिछले तीन वर्षों में एपीआई के निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः–

भारत का एपीआई निर्यात (अमरीकी मिलियन डालर में)				
श्रेणी	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22(अप्रैल-अक्तूबर 2021)
एपीआई (बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट्स)	3895.38	3867.77	4405.36	2469.84

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता और आरबीआई (*: अनंतिम)

(घ) और (ड.): सक्रिय भेषज सामग्रियों (एपीआई), इंटरमीडिएट्स और प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (केएसएम) के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा साथ ही दीघकालिक रुप से महत्वपूर्ण इन्पुट्स और बल्क ड्रग्स हेतु अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित स्कीमों को अनुमोदित किया है:–

(i) अगले पांच वषो हेतु 3000 करोड़ रु. के वित्तीय निहितार्थ के साथ 3 बल्क ड्रग पार्कों में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के वित्त पोषण हेतु बल्क ड्रग पार्को को बढ़ावा देने की स्कीम।

(ii) महत्वपूर्ण केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट्स और एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवद्वन के लिए और भेषजों के घरेलू विनिर्माण हेतु उत्पादन से जुडो प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम।

*****

भारत सरकार | **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **अतारांकित प्रश्न सं० 2867**

दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात पर कोविड–19 का प्रभाव

2867 श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत कोविड–19 और अन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के बावजूद अपने निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब है और निर्धारित लक्ष्य की तुलना में क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अक्तूबर, 2021 के अंत तक भारतीय निर्यात की स्थिति क्या है; और

(ग) वैश्विक महामारी के बाद निर्यातकों की स्थिति खराब होने के कारण निर्यातकों, विशेषकर गुजरात को बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों और सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): अप्रैल–नवम्बर, 2021 में भारत का व्यापारिक वस्तु निर्यात 263.78 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो 2021–22 हेतु 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य का 65.95 प्रतिशत है, जबकि अक्तूबर 2021 तक व्यापारिक वस्तु निर्यात 233.90 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

(ग): सरकार ने 31 जुलाई, 2020 तक या उस तारीख को किए गए निर्यात हेतु, निर्यात की तारीख से नौ महीने से पन्द्रह महीने तक निर्यात की गई वस्तुओं या साफ्टवेयर या सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि की वसूली और वापसी की वर्तमान अवधि को बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, गुजरात सहित संपूर्ण देश में सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित उपाए किए हैं:

(i) विदेश व्यापार नीति (2015–20) की मध्यावधि समीक्षा (2017) की गई और सुधारात्मक उपाए किए गए।

(ii) कोविड–19 महामारी स्थिति के कारण विदेश व्यापार नीति (2015–20) को एक वर्ष अर्थात 31.03.2022 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु माल–भाड़ा नुकसान को कम करने के लिए माल–भाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करने के लिए–एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम–'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन और विपणन सहायता'।

(v) 01.01.2021 से निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम और राज्य और केंद्रीय लेवी और करों की छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम की शुरुआत की गई है।

(vi) व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने हेतु उद्‌गम प्रमाण पत्र के लिए कॉमन डिजीटल प्लेटफॉर्म शुरु किया गया है।

(vii) 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाओं के लक्ष्य के द्वारा सेवा निर्यात को बढ़ावा देना और विविधीकरण करना।

(viii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान के द्वारा जिलों का निर्यात हब के तौर पर संवर्द्धन, इन उत्पादों के निर्यात के लिए बाधाओं को दूर करना और जिले में रोज़गार सृजित करने हेतु स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता देना।

(ix) भारत क व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है।

(x) कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र राहत उपायों के माध्यम से घरेलू उद्योग विशेष रुप से एमएसएमई जिनका निर्यात में बड़ा हिस्सा है, का समर्थन करने के लिए पैकेज की घोषणा की गई।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2872

दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी)

2872. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय योजना के विवरण को अधिसूचित करने में अत्यधिक विलंब पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बाद निर्यातकों के लिए नई कर प्रतिदाय योजना–निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के लिए वित्त मंत्रालय से अधिक धन की मांग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) हेतु स्कीम को 01.01.2021 से कार्यान्वित करने के लिए 17.08.2021 को अधिसूचित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु स्कीम के लिए 12,454 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के पश्चात अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की गई है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2899

दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए)

2899. श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों की सूची का ब्यौरा क्या है, जिनके साथ भारत वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) की योजना बना रहा है या वार्ता कर रहा है;
(ख) गत पांच वर्षों के दौरान भारत के लिए प्रत्येक मौजूदा आरटीए के परिमाणित लाभों (किसी भी प्रकार के शब्दजाल के बगैर) की आरटीए-वार सूची का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आरटीए निवेश सृजित करने में सफल रहा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
(ड.) क्या सरकार मौजूदा आरटीए पर फिर से वार्ता करने की योजना बना रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत निम्नलिखित देशों/क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय व्यापार करार (आरटीए)/मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर सक्रिय रूप से वार्ता कर रहा है:

क्रमांक	देश/क्षेत्र	करार का नाम
1	संयुक्त अरब अमीरात	भारत-यूएई सीईपीए
2	ऑस्ट्रेलिया	भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)
3	कनाडा	भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी करार
4	इजराइल	भारत-इजरायल मुक्त व्यापार करार (एफटीए)
5	यूनाइटेड किंगडम	भारत-यूके वर्धित व्यापार करार (ईटीपी)
6	आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस	भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) मुक्त व्यापार करार (एफटीए)
7	यूरोपीय संघ	भारत – यूरोपीय संघ व्यापक आधार व्यापार और निवेश करार (बीटीआईए)
8	दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाज़ीलैंड और नामीबिया	भारत – एसएसीयू पीटीए

(ख), (ग) और (घ): भारत ने विभिन्न देशों/क्षेत्रों अर्थात् जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरीशस, आसियान क्षेत्र के देशों और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के देशों के साथ 11 आरटीए/एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों/क्षेत्रों में भारत के पण्यवस्तु निर्यात में पिछले पांच वर्षों में 20.75% की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां तक भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सीईसीपीए) का संबंध है, चूँकि इसे 01-04-2021 से लागू किया गया है, मात्रात्मक लाभों की गणना करना जल्दबाजी होगी। निम्नलिखित तालिका में देश/क्षेत्रवार पण्यवस्तु निर्यात विवरण दिया गया है:

आरटीए भागीदार देश/क्षेत्रवार भारत का निर्यात

मूल्य बिलियन अम.डॉ. में

भारत आरटीए भागीदार देश/क्षेत्र	आरटीए के नाम	वित्त वर्ष 2016 में निर्यात	वित्त वर्ष 2021 में निर्यात
आसियान	भारत-आसियान एफटीए भारत-सिंगापुर सीईसीए भारत-मलेशिया सीईसीए भारत-थाईलैंड एफटीए – प्रारंभिक फसल स्कीम (ईएचएस)	25.13	31.49
जापान	भारत-जापान सीईपीए	4.66	4.43
दक्षिण कोरिया	भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए	3.52	4.68
साफ्टा	साफ्टा पर समझौता भारत-श्रीलंका एफटीए भारत-नेपाल व्यापार संधि भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर करार	18.60	22.08
मॉरीशस	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सीईसीपीए)	इस आरटीए के लिए मात्रात्मक लाभों की गणना करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसे केवल 10.04.2021 से लागू किया गया था।	

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एवं एस)

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा रख रखाव किए जा रहे एफडीआई आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों (अक्टूबर 2016 और सितंबर 2021 के बीच) में उपरोक्त देशों/क्षेत्रों से प्राप्त संचयी निवेश 89.46 बिलियन अमेरीकी डॉलर है। तथापि, यह अभिनिश्चित करना संभव नहीं है कि किसी देश से निवेश आरटीए पर हस्ताक्षर करने या किसी अन्य कारण से हुआ है।

(ङ.) और (च): दक्षिण कोरिया, आसियान और सिंगापुर के साथ आरटीए/एफटीए की समीक्षा विचाराधीन है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2903

<u>दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चीन की वस्तुओं पर प्रतिबंध

2903 . श्री गोपाल शेट्टी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन विरोधी भावना के बढ़ने के कारण भारत में सभी तरफ से चीनी सामानों के बहिष्कार या प्रतिबंध की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जून, 2020 में चीन की सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव हैं ?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) : चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों का उल्लेख करते हुए चीन की वस्तुओं के आयात का बहिष्कार करने के लिए जनता और उद्योग से कुछ अभ्यावेदन/सुझाव दिए गए हैं। जून 2020 में, एक माननीय सांसद से भी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हुई गतिविधि के आलोक में सभी चीन की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने/बहिष्कार करने का आह्वान किया गया ।

(घ) भारत सरकार, समय-समय पर, राष्ट्रीय हित से संबंधित वस्तुओं सहित वस्तुओं के आयात को विनियमित करने के लिए उचित उपाय करती है। भारत और चीन, दोनों विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, और कोई भी अधिरोपित व्यापार प्रतिबंध विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप होना चाहिए। सरकार ने समय-समय पर समीक्षा की है और समग्र वैश्विक व्यापार कार्यनीति बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपाय (नीति और व्यापार उपचार दोनों) किए हैं। घरेलू क्षमताओं का समर्थन और विस्तार करने के लिए, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु नीतियां जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम लागू की है।

****

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 2937
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

नेपाल के साथ व्यापार

2937 . श्री अनुभव मोहंती :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितंबर, 2015 के दौरान भारत और नेपाल के बीच व्यापार में भारी व्यवधान आया था जिसके परिणामस्वरूप नेपाल ने भारत से अपने आयात को लगभग 40 प्रतिशत तक कम कर दिया था;
(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति सामान्य हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार सितंबर, 2015 से पहले की स्थिति की तुलना में बढ़ गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और
(ड.) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच सरकार संबंधों के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): जी नहीं। भारत का नेपाल को निर्यात पिछले 8 वर्षों में निम्न प्रकार है:-

	मूल्य मिलियन अम.डॉ. में
वर्ष	भारत का नेपाल को निर्यात
2013-14	3,592.30
2014-15	4,558.77
2015-16	3,902.70
2016-17	5,453.59
2017-18	6,612.96
2018-19	7,766.20
2019-20	7,160.35
2020-21	6,838.46

(स्रोतः डीजीसीआईएस डाटाबेस)

भारत सरकार सीमा पार व्यापार के समेकित प्रवाह के लिए नियमित द्विपक्षीय विनिमय और व्यापार अवसंरचना (जैसे एकीकृत चेक पोस्ट और भूमि कस्टम स्टेशन) के जरिए भारत-नेपाल व्यापार सहयोग को और मजबूत और विस्तारित करने के लिए वचनबद्ध है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2939

दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबड़ की खेती करने वाले किसान

2939 . श्री थोमस चाड़िकाडन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केरल में रबर किसानों को उनके व्यय की तुलना में उत्पाद के लिए पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की रबर किसानों को राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना है ताकि किसानों को 250 रूपये प्रति किलो की कीमत मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) केरल में रबड़ उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए व्यय की तुलना में पर्याप्त मूल्य मिल रहा है। हाल में देश में घरेलू प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में वृद्धि हुई है और केरल में आरएसएस 4 ग्रेड प्राकृतिक रबड़ की मासिक औसत कीमत नवंबर 2021 के दौरान 182.79 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में सभी भुगतान की गई लागत, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास सहित उत्पादन की संभावित लागत अर्थात् 99.46 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****